

1

प्रवाङ्क... ४५२४३ को निर्माण कार्य... के निर्माण कार्य...  
 प्रायवलिता राशि १५९९००-० में दो अलग रकम...  
 १५३९२५=० उपलब्ध करायी गयी थी। उपलब्ध कराये गये  
 उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ मागी पुलिसवा के अनुसार १००० रत  
 तक निर्माण कार्य हो चुका है तथा रुपये १५८६४७=० पर उपयोगिता  
 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत है। विद्यालय शिक्षा समिति को निर्मा कर रुपये ३१७३०=० एवं  
 रोकवली रुपये २१३०=० की करीवी करते हुए अगले पिरत की राशि रुपये...  
 ९१४९=० (कै ४०० रुपों अगले पिरत) उपलब्ध कराने पर आदेशना चाहते एवं अभी तक के रागी निर्मा  
 राशियों का सामायोजना करते हुए राशिमा बन्द करने का आदेश कर सकते हैं।

२०२०/२०२०  
 २६/११/०७

*[Handwritten signatures and marks]*

Chaque No - 544773  
 Date - 14/11/07  
 Amount - 9149=0

जिला कार्यक्रमा समन्तयक, (2)

प्राथमिक/ग्राम विद्यालय . . . 30/1/58

सखण्ड . . . का एक अतिरिक्त बर्षीकक्षा-निर्माण  
कार्य-स्वीकृति कार्यकारिणी द्वारा प्राप्त है। एक अतिरिक्त  
बर्षीकक्षा-निर्माण हेतु कुल प्रावकमित राशि रु. 15990/-  
(एक लाख अण्डास हजार नौ सौ मात्र) है जिसमें से निर्माण  
काम में रु. 1,56,000/- (एक लाख छप्पन्न हजार का) तथा  
सुपरविजन चार्ज रु. 3900/- (तीन हजार नौ सौ अण्डास)  
है।

अतः एक अतिरिक्त बर्षीकक्षा-निर्माण कार्य प्रारंभ करने  
हेतु प्रावकमित राशि का 75% अर्थात् रु. 119925/-  
(एक लाख अण्डास हजार नौ सौ अण्डास) प्रथम  
किस्त की राशि अर्थात् रु. 119925/- प्राप्ति का  
समिति प्राथमिक/ग्राम विद्यालय . . . के  
पदनाम से चेक निर्गत कर देना  
चाहिये।

आदेशार्थ  
[Signature]

शक्ति  
चेक सं.  
दिधि

माध्यम से  
[Signature]  
दिधि-29-7-58

(1)

श्री \_\_\_\_\_

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र सन्वयक द्वारा

\_\_\_\_\_ समिति के बीच \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ निर्माण हेतु \_\_\_\_\_ किया गया तथा निम्नलिखित की  
रूपस्थिति में \_\_\_\_\_ किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

खाता सं - 2372/9  
बैंक का नाम - \_\_\_\_\_  
समिति का मुहर - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ द्वारा  
\_\_\_\_\_ द्वारा  
\_\_\_\_\_ (नियोजक)

सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जावे तथा यह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।

- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का ब्यवक्षण और अनुभवण करेगा तथा पर्यवेक्षण अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पाटीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नक्शे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्रावकलिता राशि के अन्दर सामग्री की कीमत घटने बढ़ने के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड संसाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत करीता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत बहनों करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष निर्देश और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स की कटौति कर सकती है।)

7.2 विशेष ध्यान देना कि पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पैसे बैंक में सिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुरक्षा के तहत सरकारी संस्था या किसी निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अच्छा है से पैसा कूच सकते हैं। इस प्रकार के पैसों में बैंक सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के चोरी होने की, नकद या मजदूर इतिपति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8. विवाद का मतभेद :- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद आ मतभेद एकदूसरे भाषा के किसी भी स्तर पर होता है तो दोनों पक्ष पिचार-विमर्श कर हल बुझने का प्रयास करें। यदि भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

4.1 निधि के दुस्प्रयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से ..... (महीना/सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कड़िका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए भत्तों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कर्मीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कर्मीय अभियंता कार्य प्रगति का आँकड़ा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने का मांग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कड़िका 5 में उचित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिकृत दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

1. गृह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक ..... को प्रखण्ड रासायन केन्द्र समन्वयक ..... ( जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संशोधित होंगे ) और विद्यालय शिक्षा समिति ..... ( जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे ) के बीच ..... निर्माण कार्य ( कार्य के नाम पर उल्लेख ) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य का कुल लागत ( जो इसके बाद 'कुल लागत' कहा जायेगा ..... ) ( शब्दों में ..... ) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा समिति के हस्ताक्षर हो रहा है, उक्त खाता में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड रासायन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

	अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शौचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	—
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक चरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कर्मीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले चरण की राशि निर्गत की जायेगी।

(5)

श्री गार्हिन प्रसाद

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षण समिति और प्रखण्ड ससाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा

प्राथमिक और मीठा समिति के बीच बैंक खाता

निर्माण हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की

उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड ससाधन केन्द्र समन्वयक  
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

गार्हिन प्रसाद

1. अध्यक्ष  
(i) पुरा नाम - अर्जुन प्रसाद  
(ii) हस्ताक्षर - अर्जुन प्रसाद

2. सचिव  
(i) पुरा नाम - ललन रजक  
(ii) हस्ताक्षर - ललन रजक

3. प्रधानशिक्षक  
(i) पुरा नाम - एम. विष्णु 217  
(ii) हस्ताक्षर - एम. विष्णु 217

खाता सं० - 2372/9

बैंक का नाम - इ. ए. ए. बैंक (पब्लिक)

समिति का मुहर - 214-2372

सचिव

विद्यालय : ...  
मोहर : ... (मोरनाबाद)

8

- (4) सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की खरीदारी आवश्यकतानुसार एनेक्चर-1 के अनुरूप हो (आई. एस. आई.) प्रमाणित सामग्री जहाँ तक सम्भव हो खरीदारी में प्राथमिकता दी जाय तथा वह राष्ट्रीय क्रय प्रक्रिया के तहत विभिन्न चरणों के लिए खरीदी जाय जैसा कि विश्व बैंक खरीदारी निर्देश में अंकित है।
- (5) नियमित रूप से कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और अनुभवकण करेगा तथा पर्यवेक्षक/अभियंता द्वारा दिये गये तकनीकी सलाह/निर्देश का पालन करेगा।
- (6) किसी भी प्रकार की अनियमितता को पहले पक्ष के प्रतिनिधि प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक अभियंता को सूचित करेगा और आवश्यक स्पष्टीकरण मांगेगा।
- (7) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य नकशे और प्रारूप के अनुरूप, कुल प्राक्कलित राशि के अन्तर सामग्री की कीमत घटने वाले के बावजूद किया जा सकेगा।
- (8) प्रखण्ड ससाधन केन्द्र को कार्य की प्रगति से अवगत कराता रहेगा।
- (9) निर्माण के दौरान पैसा/सामग्री के गलत उपयोग को रोकेंगा।
- (10) सभी प्रकार के ड्यूटी के तहत बहन करने का प्रावधान है। (प्रथम पक्ष नियम और कानून के तहत इस प्रकार के टैक्स को कटौति कर सकती है।)

7.2 विवेक के साथ प्रथम पक्ष पहले पक्ष के स्वीकृति से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए पीस वर्क बेसिस (छोटे-छोटे स्तर) पर कार्य करा सकते हैं या किसी सुयोग्य गैर सरकारी संस्था या मान्य निर्माण संस्था जिसका पुराना रिकार्ड लोक भागीदारी में अच्छा रहा है से कार्य करा सकते हैं। इस परिस्थितियों में गैर सरकारी संस्था/निर्माण संस्था की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की सामग्री के खोने या खोरी होने की नकद या मजदूर क्षतिपूर्ति भुगतान तथा अन्य घटनाओं के लिए तथा अन्य इस प्रकार के भुगतान की जिम्मेदारी उसकी होगी और प्रथम पक्ष का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

8. विवाद का बहाने:- यदि कार्य को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद एकरारनामा के किसी भी अन्तर्पक्ष होकर होकर है तो दोनों पक्ष विचार-विमर्श कर हल बुझने का प्रयास करेंगे फिर भी मतभेद नहीं सुलझने पर यह विवाद सुलह हेतु जिले के जिलाधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। (विभिन्न कार्यक्रम के लिए इसमें फेर बदल किया जा सकता है।)

11/11/2011  
38/11/2011



(7)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, के उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

5. कार्य पूरा करने की अवधि :-

इस एकरारनामा की तिथि से ..... (महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्राधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं रक्षिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का आँकन ब्योरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये रशि को पुनः वापस करने की माँग कर सकता है।

7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-

7.1 द्वितीय पक्ष :-

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

(2)

**एकरासनामा प्रपत्र**

1. यह एकरासनामा प्रपत्र, एकरासनामा के रूप में दिनांक ..... को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक ..... ( जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे ) और विद्यालय शिक्षा समिति ..... ( जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे ) के बीच ..... निर्माण कार्य ( कार्य के नाम का उल्लेख ) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरासनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत ( जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा ..... ) ( शब्दों में ..... ) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव सं हस्ताक्षर हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

	अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शािचालय (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	---
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक वरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कनीय अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रपत्र में लपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले वरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संभारण :- द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का खर्च ब्यौरा रखेगा यह ब्यौरा प्रथम पक्ष के मा...

9

श्री ..... अर्जुन प्रसाद .....

अध्यक्ष, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा

आर.पी.ओ. और डी.ए. समिति के बीच ..... ए.ए.ए.ओ. .....

..... विभांग हेतु एकरारनामा किया गया तथा निम्नलिखित की

उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया और प्रस्तुत किया गया।

पथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1. प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक  
(पुरा नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर)

अर्जुन प्रसाद

1. अध्यक्ष  
(i) पुरा नाम - अर्जुन प्रसाद  
(ii) हस्ताक्षर - अर्जुन प्रसाद

2. सचिव  
(i) पुरा नाम - लक्ष्मी देवी  
(ii) हस्ताक्षर - लक्ष्मी देवी

3. प्रधानशिक्षक  
(i) पुरा नाम - एम. विष्णु शर्मा  
(ii) हस्ताक्षर - एम. विष्णु शर्मा

खाता सं० - 2372/9  
बैंक का नाम - उत्तर प्रदेश बैंक, उशीली  
46252  
समिति का मुहर -

सचिव

विद्यालय शिक्षा समिति केन्द्र प्र. वि.  
श्री. ए. ए. ओ. (श्री. ए. ए. ओ.)

4.1 निधि के दुरुपयोग करने पर प्रथम पक्ष को आवश्यक पूछताछ एवं आन्वेषण जो आवश्यक प्रतीत हो, उपरान्त प्रथम पक्ष को निर्माण समिति का खाता जप्त करने का अधिकार होगा।

**5. कार्य पूरा करने की अवधि :-**

इस एकरारनामा की तिथि से ..... (महीना, सप्ताह/दिन) में कार्य पूरा कर लिया जायेगा विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिखित सहमति से इस कंडिका उल्लेखित समय अवधि में विस्तार किया जा सकता है।

**6. प्रथम पक्ष का कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-**

6.1 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को प्रारूप के अनुसार कार्य कराने के लिए नियमित मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रारूप के अनुसार निर्माण और निर्माण से संबंधित सामानों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए प्रथम पक्ष के प्राधिकृत कर्मी निर्माण स्थल का नियमित भ्रमण करेंगे और लिखित मार्ग दर्शन भी देंगे।

6.2 प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का प्रस्तावित कार्य के लिए नक्शों की तीन प्रतियाँ प्रारूप और मार्गदर्शन देगा।

6.3 जिला परियोजना अभियंता या परियोजना प्रधिकारी के अधिकृत ऐसे अन्य व्यक्ति प्रखण्ड स्तर पर संबंधित कनीय अभियंता एवं समिति के प्रतिनिधि के साथ सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक परियोजना के लिए अवधि में सुधार किया जा सकता है।) बैठक करेंगे और निर्माण स्थल के प्रभारी कनीय अभियंता कार्य प्रगति का अहम ध्यान धीरा और कार्य में होने वाली कठिनाईयों का उल्लेख करेंगे जो संबंधित समिति के सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा। निर्माण कार्य का लेखा-जोखा करने के लिए पूरी टीम संयुक्त रूप से किसी भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सकती है।

6.4 एकरारनामा में उल्लेखित किये गये किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर या कार्य स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करने पर प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर कार्य को रोक या स्थगित कर सकता है और भुगतान किये गये राशि को पुनः वापस करने की मांग कर सकता है।

**7. द्वितीय पक्ष के अधिकार और कर्तव्य :-**

**7.1 द्वितीय पक्ष :-**

- (1) कंडिका 5 में वर्णित समय अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करेगा।
- (2) निर्माण कार्य के लिए कुशल और योग्य व्यक्ति को कार्य में लगाएगा।
- (3) विभिन्न कार्यों के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी भुगतान करेगा।

(11)

# सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद एकरारनामा प्रपत्र



1. यह एकरारनामा प्रपत्र, एकरारनामा के रूप में दिनांक ..... को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक ..... ( जो इसके बाद प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित होंगे ) और विद्यालय शिक्षा समिति ..... ( जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे ) के बीच ..... जिला ..... ( जो इसके बाद द्वितीय पक्ष के नाम के संबोधित होंगे ) निर्माण कार्य ( कार्य के नाम का उल्लेख ) करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर एकरारनामा बनाया जाता है।

2. ठेके की कीमत :- कार्य की कुल लागत ( जो इसके बाद "कुल लागत" कहा जायेगा ..... ( शब्दों में ..... ) है।

3. निधि आवंटन :-

3.1 द्वितीय पक्ष द्वारा समिति के नाम से जो खाता खोला गया है जिसका संचालन प्रधानाध्यापक तथा सचिव के हस्ताक्षर हो रहा है, उसी खाते में इस कार्य की राशि जमा की जायेगी। राशि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2 प्रथम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य के लिए भुगतान निम्नलिखित रूप में निर्गत किया जायेगा :-

	अतिरिक्त कमरा एवं अन्य स्कीम (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)	शीघ्रता (प्राक्कलित लागत का % के रूप में)
1. प्रथम किस्त	50%	75%
2. द्वितीय किस्त	35%	-
3. तृतीय किस्त	15%	25%

3.3 प्रत्येक वरण का भुगतान निर्माण स्थल पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिये जाने पर तथा पिछली निर्गत राशि का कम से कम 50 प्रतिशत और इसके पूर्व में निर्गत राशि का 100 प्रतिशत खर्च कर दिया गया है, प्रथम पक्ष द्वारा अगले वरण की राशि निर्गत की जायेगी।

4. खाता का संचालन :- द्वितीय पक्ष, द्वारा समय पर कार्य करने के लिए किये गये भुगतान के खर्च का अलग खाता रखेगा यह खाता प्रथम पक्ष के या अन्य दलों के भ्रमण के समय जो इस कार्य के निरीक्षण के लिए प्रतिनियुक्त होगी, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

मु. वि. १७

३५-१०००

५०००

५०००

५०००

आपका विवाह भाग  
५००० विवाह राशि ५०००  
संलग्न प्रमाण पत्रों के साथ  
विवाह के लिए १५००० (पंचमई १५०००)

आ. वि. १७ के अंतर्गत है।  
आपका विवाह भाग ५०००  
संलग्न प्रमाण पत्रों के साथ  
विवाह के लिए १५००० (पंचमई १५०००)

वि. वि. १७ के अंतर्गत है।  
आपका विवाह भाग ५०००  
संलग्न प्रमाण पत्रों के साथ  
विवाह के लिए १५००० (पंचमई १५०००)

आपका विवाह भाग  
५००० विवाह राशि ५०००  
संलग्न प्रमाण पत्रों के साथ  
विवाह के लिए १५००० (पंचमई १५०००)

अधीक्षक, औरंगाबाद  
संघित पंजी

क्र.सं.	रकबाती की तारीख	साधने प्रकारात	आवडी (कि. मी. व वजन)	अवकाश संख्या	प्रकार	दर	कुल मूल्य	टिप
5	30.11.05	विमानवाहतूक	7449	6	3000	300/-	900.00	
6	30.11.05	दूर	7449	6	3000	1550/-	4650.00	विमानवाहतूक
7	30.11.05	विमानवाहतूक	7449	6	3000	200/-	600.00	
8	30.11.05	दूर	7449	6	3000	1570/-	4710.00	विमानवाहतूक
9	30.11.05	विमानवाहतूक	7449	6	3000	200/-	600.00	
10	30.11.05	दूर	7449	6	3000	1500/-	4500.00	
11	30.11.05	विमानवाहतूक	7449	6	3000	300/-	900.00	
12	02.11.05	दूर	7449	6	3000	500/-	1500.00	
13	08.12.05	दूर	7449	6	3000	1550/-	4650.00	विमानवाहतूक
14	08.12.05	विमानवाहतूक	7449	6	3000	200/-	600.00	
15	08.12.05	दूर	7449	6	3000	1550/-	4650.00	विमानवाहतूक
16	08.12.05	विमानवाहतूक	7449	6	3000	200/-	600.00	
17	10.12.05	दूर	7449	6	25 bag	145/-	3625.00	
18	10.12.05	विमानवाहतूक	7449	6	25 bag	300/-	7500.00	
19	12.12.05	दूर	7449	6	3000	500/-	1500.00	
20	15.12.05	दूर	7449	6	3000	1500/-	4500.00	
21	15.12.05	विमानवाहतूक	7449	6	3000	200/-	600.00	
22	08.08.06	दूर	7449	6	3000	200/-	600.00	
23	14.08.06	दूर	7449	6	3000	1500/-	4500.00	
24	14.08.06	विमानवाहतूक	7449	6	3000	300/-	900.00	
25	14.08.06	दूर	7449	6	3000	200/-	600.00	
26	27.01.07	दूर	7449	6	1000	1300/-	1300.00	
27	27.01.07	दूर	7449	6	37 bag	180/-	6660.00	
28	27.01.07	विमानवाहतूक	7449	6	37 bag	200/-	7400.00	
29	27.01.07	दूर	7449	6	3000	300/-	900.00	
30	27.01.07	विमानवाहतूक	7449	6	3000	400/-	1200.00	
31	14.02.07	दूर	7449	6	3000	-	1266.00	
32	17.02.07	दूर	7449	6	3000	200/-	600.00	
33	17.02.07	दूर	7449	6	3000	200/-	600.00	
34	17.02.07	दूर	7449	6	3000	200/-	600.00	

कुल मूल्य 169874.00

उपरोक्त मूल्य माली ने कसून ही रकम देण्यात येईल असे नोंद घ्यावे. याबाबतची मालीची नोंद संपूर्ण ठीक ठीक असल्याची नोंद घ्यावी. याबाबतची नोंद घ्यावी. याबाबतची नोंद घ्यावी.

निदेशिका  
पदेन सदस्य

पदाधिकारी  
पदाधिकारी

(14)

कार्यालय जिला शिक्षा  
विद्यालय शिक्षा

दिनांक... 23/07/07

सदस्य :-

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 गोमे शत्र राजक                | 6 Anandpur           |
| 2 शरीत देवी                     | 7 रि...              |
| 3 डी. सु. सु. गी. पा. सु. ट     | 8 र. म. प. सु. सु. ट |
| 4 प. म. सु. सु. सु. सु. सु. सु. | 9                    |
| 5 सु. सु. सु. सु. सु. सु.       | 10                   |

आज दिनांक 23/07/07 को विद्यालय जिला समिति की बैठक 110 मिनट तक हुई जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से विद्यालय के पुस्तकालय की निर्माण के लिए एक कक्षा निर्माण हेतु प्रस्ताव पेश किया गया जिसका विवरण निम्न है:-

एक कक्षा निर्माण हेतु प्रस्ताव जिसमें 1199250/- (एक लाख 24000 रुपये) का खर्च आने का अनुमान है। इसमें 24000 रुपये (दो बीस हजार रुपये) का खर्च प्रस्तावित किया गया है। शेष 1175250/- में 30/11/06 को 20796 (दो बीस हजार रुपये) का खर्च आने का अनुमान है।

क्र.सं.	वर्ष/मास	समाप्त होने का नाम	आवृत्ति/समाप्त होने का नाम	प्रस्तावित	मात्रा	दर	योग
1.	30-11-05	25 (10 मिनट)	21 मिनट	①	135 रु.	2300/-	3105.00
2.	" "	23 (8 मिनट)	" "	"	322.70	2300/-	8227.16
3.	" "	सी. सु.	" "	"	50	1451/-	7255.00
4.	" "	सु.	" "	"	4	60/-	240.00

सचिव

अध्यक्ष

पुस्तकालय विभाग, जिला शिक्षा, जिला शिक्षा

उड़ी देवी

जिला शिक्षा, जिला शिक्षा

पुस्तकालय विभाग, जिला शिक्षा, जिला शिक्षा  
जिला शिक्षा, जिला शिक्षा

जिला शिक्षा, जिला शिक्षा



(15)

सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।  
 वर्ष की सर्व राशि का विवरण

दिनांक 15/02/2018

राठ प्राथमिक औरदीक

गजदरी भद्र का विवरण

पत्रिका का नाम - महानगर  
 प्राथमिक शिक्षा विभाग

क्र. सं.	वर्ष का मास	वर्ष का दिनांक	अभिभव राशियां	मिस्त्री/ मजदूर	राशियां	घर	कुल राशि	अनुविधि
1	29/11/05 से 04/12/05 तक	प्राथमिक कार्य करना, जमीन लेवेल करना	①	मिस्त्री	12	110	1320.00	
				मजदूर	24	68	1632.00	
2	5/12/05 से 12/12/05 तक	पिछले कार्य समाप्त करना कार्य दिनांक	②	मिस्त्री	14	110	1540.00	
				मजदूर	42	68	2856.00	
3	19/12/05 से 20/12/05 तक	गैर कीमत का कार्य करना	③	मिस्त्री	14	110	1540.00	
				मजदूर	42	68	2856.00	
4	21/12/05 से 28/12/05 तक	गैर कीमत से उपलब्ध नया मुंडाई	④	मिस्त्री	14	110	1540.00	
				मजदूर	42	68	2856.00	
5	29/12/05 से 05/01/06 तक	लेवेल से उपलब्ध नया मुंडाई	⑤	मिस्त्री	14	110	1540.00	
				मजदूर	42	68	2856.00	
6	06/01/06 से 11/01/06 तक	डोर लेवेल पर लेवेल नया मुंडाई	⑥	मिस्त्री	12	110	1320.00	
				मजदूर	36	68	2448.00	
7	12/01/06 से 18/01/06 तक	डोर मुंडाई कार्य	⑦	मिस्त्री	14	110	1540.00	
				मजदूर	32	68	2176.00	
8	15/02/06 से 20/02/06 तक	सीटिंग का कार्य करना	⑧	मिस्त्री	12	110	1320.00	
				मजदूर	36	68	2448.00	
9	21/02/06 से 05/03/06 तक	दरवाजे का नया लेवेल पर नया मुंडाई	⑨	मिस्त्री	10	110	1100.00	
				मजदूर	68	68	4624.00	
10	28/02/07 से 04/03/07 तक	गैर कीमती जगहों पर लेवेल करना	⑩	मिस्त्री	14	110	1540.00	
				मजदूर	28	68	1904.00	
11	05/03/07 से 11/03/07 तक	लेवेल का कार्य	⑪	मिस्त्री	14	110	1540.00	
				मजदूर	28	68	1904.00	
12	12/03/07 से 16/03/07 तक	लेवेल का कार्य	⑫	मिस्त्री	10	110	1100.00	
				मजदूर	20	68	1360.00	
13	17/03/07 से 20/03/07 तक	डोरिंग, सीटिंग का कार्य	⑬	मिस्त्री	08	110	880.00	
				मजदूर	08	68	544.00	
कुल योग :-							48140.00	

- प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए - सभी अभियान का मास्टर रोल माई माई के सम्पत्ति है।  
 1. फीस वृद्ध, माई फंडिंग, स्कूल सज्जित, लेबर हाजिरी सज्जित, माईट पुक सम्पत्ति का लिया गया है।  
 2. प्राथमिक सभी सभी विभागों में प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित कर लिया गया है, उसे कि कार्यवाही नहीं हो पूरा सं- 11 में समाप्त है।  
 3. सभी अभियान का सज्जित प्रशासनिक के पास सुरक्षित है जिसे आवश्यक पड़ने पर देखा जा सकता है।

प्रधान शिक्षक/प्रशासक  
 महानगर  
 महानगर (बीरगंज)

गुंडी देवी  
 राधिका  
 08.11.07

गुंडी देवी  
 राधिका  
 10 दिनांक






संजय देवदत्त  
 अरुण  
 10 दिनांक

महानगर, महानगर, महानगर

(16)

क्र.सं.	वरीदारी की तारीख	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	अभिभव संख्या	मात्रा	दर	कुल राशि
22	08-08-06	मिर्ची का बीज	सुभाष मिर्ची साठे पलकिया	(19)	3000	130/-	600.00
23	14-08-06	सीमेंट 405 टन	21 टन सीमेंट साठे अ.प.साठे	(20)	सीमेंट 405 टन	180/-	33939.90
24	14-08-06	विद्युत पत्र साठे साठे 45 टन	TRUBIND UP 60 E 0056	(21)	विद्युत पत्र (25) टन	300/2	300.00
25	14-08-06	सीमेंट का सामान साठे साठे	सीमेंट साठे साठे अ.प.साठे	(22)	सीमेंट साठे साठे साठे	1.00 0.90 0.15	1880.00
26	27-01-07	सीमेंट साठे	सुभाष मिर्ची साठे अ.प.साठे	(23)	100 CFT	1300/2	1300.00
27	27-01-07	सीमेंट साठे	सीमेंट साठे साठे अ.प.साठे	(24)	37 Bag	180/-	6660.00
28	27-01-07	सीमेंट साठे साठे (साठे साठे)	TRUBIND 026 A 5642	(25)	37 Bag	200/-	200.00
29	27-01-07	सीमेंट साठे साठे साठे साठे	सीमेंट साठे साठे अ.प.साठे	(26)	330 Kg	35/-	11200.00
30	27-01-07	सीमेंट साठे साठे (साठे साठे)	TRUBIND BR/24/F 7649	(27)	320 Kg	400/-	400.00
31	14-01-07	सीमेंट साठे साठे साठे साठे	सीमेंट साठे अ.प.साठे	(28)	सीमेंट साठे साठे साठे	-	1266.00
32	17-01-07	सीमेंट साठे साठे	सीमेंट साठे साठे अ.प.साठे	(29)	-	257/-	2887.00
33	19-01-07	सीमेंट साठे साठे	सीमेंट साठे साठे अ.प.साठे	(30)	3 PP	-	80.00
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
कुल योग :-							120926.00

प्रमाणित किया जाता है कि - 1. सभी अभिभव एवं गारंटर रोल एवं कॉन्स में संपादित हैं।  
 2. वीस पुक, माई फाईस, रॉयल क्लिफ्टर, मेजर इन्डिस्ट्री रजिस्टर, साईड पुक संपादित कर लिया गया है।  
 3. उपरोक्त सभी कार्य विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा पाठित करा लिया गया है, जो कि, कारावाही वही के पुक 10-11 में संपादित है।  
 4. सभी अभिभव एवं रजिस्टर इन्वॉयस/पाक के पत्र सुरक्षित हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर देखा जा सकता है।

  
 प्रमुख शिक्षक/अधीक्षक  
  
 09/11/2007  
  
 सुदी देवी  
 प्रमुख  
  
 सचिव/अधीक्षक  
  
 अधीक्षक

क्र.सं.	विवरण की शीर्षक	राजपौ का नाम	आवक/व्यय का नाम	अवधि का दिनांक	मात्रा	दर	कुल राशि	अन्य
1	30-11-05	23 (10 mm)	23 (10 mm) 24/11/05	①	135 Kg	2300/-	3105.00	
2	"	23 (8 mm)	" " "	"	222.700 Kg	2200/-	8227.10	
3	"	सीमेंट	" " "	"	50 Bag	145/-	7250.00	
4	"	गाल	" " "	"	4 Kg	48/-	168.00	
5	30-11-05	विद्युत पुरवठा के लिए 500 मीटर लंबाई का तार	Tractor No BR/24/F 7649	②	2000	400/-	800.00	
6	30-11-05	ईंधन	3000	③	3000	1550/-	4836.00	vat tax 47.64/-
7	30-11-05	विद्युत पुरवठा के लिए तार	Tractor No UP 60E 5399	④	3000	200/-	600.00	
8	30-11-05	ईंधन	3000	⑤	3000	1550/-	4836.00	vat tax 47.64/-
9	30-11-05	विद्युत पुरवठा के लिए तार	Tractor No UP 60E 5399	⑥	3000	200/-	600.00	
10	30-11-05	स्टोन चिप	3000 CFT	⑦	3000 CFT	1500/-	4500.00	
11	30-11-05	विद्युत पुरवठा के लिए तार	Tractor No 026A 5642	⑧	3000 CFT	300/-	900.00	
12	02-12-05	गाल	Tractor No BR/24/F 7649	⑨	6000 CFT	500/-	3000.00	
13	08-12-05	ईंधन	3000	⑩	3000	1550/-	4836.00	vat tax 47.64/-
14	08/12/05	विद्युत पुरवठा के लिए तार	Tractor No UP 60E 5399	⑪	3000	200/-	600.00	
15	08-12-05	ईंधन	3000	⑫	3000	1550/-	4836.00	vat tax 47.64/-
16	08-12-05	विद्युत पुरवठा के लिए तार	Tractor No UP 60E 5399	⑬	3000	200/-	600.00	
17	10-12-05	सीमेंट	25 Bag	⑭	25 Bag	145/-	3625.00	
18	10-12-05	विद्युत पुरवठा के लिए तार	Tractor No 026A 5642	⑮	25 Bag	300/-	7500.00	
19	12-12-05	गाल	Tractor No BR/24/F 7649	⑯	5000 CFT	300/-	1500.00	
20	15-12-05	स्टोन चिप	3000 CFT	⑰	3000 CFT	1500/-	4500.00	

श्रीमान जिला शिक्षा. व्युत्पीडाक सह

जिला कार्यग्राम सार्वजनिक

(18)

सर्व शिक्षा अभियान कार्यवाही

लिखत :- A.C.R.-I निर्माण में अधिकांश व्यय ही  
गई राशि के गुणमान प्रकृति के कारण में।

सलमय;

उपर्युक्त विषय में प्रकृत है कि

सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय द्वारा A.C.R.-I निर्माण के  
हेतु वि० शि० स० स० २१० शि० (अ.स.) प्रकृत है  
प्रथम चरण में ११९२५ (एक लाख नौ हजार  
सौ पचास) रुपया गुणमान प्रकृत है ७५ में  
२४००० (दो बीस हजार) रुपया गुणमान प्रकृत है।  
A.C.R.-I का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण (A  
S.O.E में हुई किया गया है जिसके साथ साथ अभियान  
को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। A.C.R.-I निर्माण  
में अधिकांश व्यय ही (दिने गये हैं) अन्य को चुका है।  
अतः श्रीमान से गुणमान प्रकृत है कि प्रथम

गुणमान प्रकृत राशि की प्रकृत राशि का १०० फी

जिला शिक्षा  
लेखिका  
A.C.R.-I का निर्माण  
अधिकारी का नाम  
म.स. मंत्रालय  
श. स.स. - 15995/  
प्रमाणित  
०१.११.२०१७  
१३१३२

आपका विश्वासपात्र  
प्रमाणित  
२०/११/१७  
१०५०  
१३१३२



सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद

Schedule XLV-Form No. 134.

वि. प. प्रेस, यया

BIHAR P. W. D.

रा. प्रा. वि. औरंगाबाद, अंचल — मदनपूर DIVISION

सक. मरा (ACR-1) SUB-DIVISION

प्रा. क. लि. २१३१ — १५९९२५/२

MEASUREMENT BOOK.

Name of work -  
 Location of work -  
 Agency by which work is executed -  
 Date of measurement -  
 No. and date of agreement.  
 (These four items should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area.
	No.	L.	B.	D.	
first & final				17/4	
Name of work -					
Construction of					
A.C. R-1 at Primary					
school Ordikha					
Block - Madhantpur					
Dist - Anwarabad					
Under S.S.A. Anwarabad					
had					
Agency - V. S. S. Prasad					
of school Ordikha (S.S.A.)					

Date of measurement -				
5/2/2017				
(1) Site clearance				
3 Mas Labour @ 13				
68/ma - - - 13				204.00
(2) Making 10"				
dia bore below ground				
level				
21 x 11' 6" = 241' 6"				
1 x 15' 11" = 15' 11"				218.00
257' 5"				
= 78' 45 m @				
13 30' 85/m - - - 13				2420.00
(3) Making				
63 cm dia - Under				
ground as required				

Continuation - 13 26 24.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	2624.00
depth in ordinary soil					818.00
25 x 25	32	70	each		
				B <sub>2</sub>	818.00
(4) - providing R.P.C					
MIS (1:2:4) R/c					
21 x 7/4	$(0.25)^2 \times 2.5$		m		
					= 3.61 cum
1 x 7/4	$(0.25)^2 \times 4.85$		m		
					= 0.24 cum
Exts for					
25 x 0.59					
					= 1.48

					5.33 cum
(4) B <sub>2</sub>	29.95		/m <sup>3</sup>		
				B <sub>2</sub>	10820.00
(5) - providing					
filling below					
beam					1080.00
118' 5 1/2"	- 9' 2" 10"		"x 10" x 3"		
					= 19.84 sq ft
					= 0.5618 m <sup>2</sup>
(4) B <sub>2</sub>	3.80		/m <sup>3</sup>	B	53.00
(6) - providing					
100 A.B.F.S			below		
beam					
(118' 5 1/2"	- 22' 10"		) x 10"		10820.00
					= 79.37 sq ft = 7.376 m <sup>2</sup>
(4) B <sub>2</sub>	73.40		/m <sup>2</sup>	B	541.00

Continuation

B 14856.00



Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L	B	
(7) - Provisioning R.C.C. M15 (1:2:4) cm ground beam exclu- ding steel 118' 5 1/2" x 10" x 8" = 64.89 cft. = 1.837 m <sup>3</sup> @ Rs 2384.95/m <sup>3</sup> - Rs 4380.00			BF	14,856.00
(8) - Provisioning brick work in cm (1:6) up to Plinth 118' 5 1/2" x 10" x 1' 3" = 192.90 cft.				
Deduction for arches pillar embankment 3 x 1' 3" x 7/4" (0.83) m <sup>2</sup> (-) = 2.03 cft. 190.87 cft. 3.422 m <sup>3</sup> @ Rs 1253.20/m <sup>3</sup> - - - - - Rs 4288.00				
(9) - Provisioning 25 mm thick D. P.C M15 (1:2:4) 118' 5 1/2" x 10" = 98.91 cft. = 9.1375 m <sup>3</sup> @ Rs 65.05/m <sup>3</sup> - Rs 594.00				
(10) - Provisioning 100A brick work with				

Continuation

Rs 24,118.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	24,118.02
C.M (1:4) in Super-structure					
Lintal band					
118' 5 1/2" x 10" x 10"					
= 983.20 cft.					
Deduction					
D - 1 x 4' x 7' x 10" = 23.24 cft					
W - 3 x 4' x 5' x 10" = 50.00 cft.					
Ver. opening					
28' 10" x 10' x 10" = 239.28 cft.					
Lintal -					
4 x 5' x 10" x 6" = 8.30 cft					
Lintal band					
(89' 7 1/2" - 20') x 10' x 3"					
= 14.45 cft					
					335.27 cft
Net quantity					
983.20 - 335.27					
= 647.93 cft					
= 18.347 m <sup>3</sup>					
@ P <sub>3</sub> 1285.35/m <sup>3</sup>					
				P <sub>3</sub>	23582.00
(II) - plastering					
M 15 R.C. (1:2:4) in					
Lintal band					
(89' 7 1/2" - 20') x 10' x 3"					
= 14.447 cft = 0.409 m <sup>3</sup>					
@ P <sub>3</sub> 239.80/m <sup>3</sup>					
				P <sub>3</sub>	989.00

Continuation

P<sub>3</sub> 48,689.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
(10) - Provisioning				BF	48,689.00
MIS (Rec. 119:4) in					
Lintal					
4 x 5' x 10" x 6" = 8.30 cft					
Lintal in Veranda					
2 9/8" x 10" x 6" = 19.31 cft					
					20.61 cft
= 0.58 m <sup>3</sup>					
(11) - Provisioning				BF	1672.00
MIS (1:2:4) in Veranda					
Pillar (Calumn)					
3 x 116" x 116" (0.893) 2					
= 17.85 cft					
= 0.51 m <sup>3</sup>					
(12) - Provisioning				BF	1244.00
MIS Rec. Bad hand					
5 x 2 1/2" x 10" x 6"					
= 5.187 cft					
= 0.147 m <sup>3</sup>					
(13) - Provisioning				BF	351.00
63 mm Rec. Chaffa					
3 x 5' x 1 1/2" = 22.5 cft					
= 2.03 m <sup>3</sup>					
(14) - Provisioning				BF	770

Continuation

BF 52,726.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	52,726.0
(16) - Providing					
MIS R-c-c (1:2:4) in					
beam all type -					
17' 2 1/2" x 10" x 10"					
= 11.86 cft					
29' 8" x 10" x 6"					12.28 cft
2 x 23' 8" x 10" x 13 1/2"					44.19
				68.33 cft	
= 1.93 m <sup>3</sup>					
@ Rs 3401.30 / m <sup>3</sup>					
				Rs	6564.01
(17) - Providing					
R-c-c MIS R-c-c					
3 x 9' 6" x 9' 6" x 9 1/2"					
= 12.81 cft					
= 0.36 m <sup>3</sup>					
@ Rs 2905.85 / m <sup>3</sup>					1046.00
(18) - Providing					
R-c-c MIS (1:2:4)					
in filler ring slab.					
8 x 1/2 x 9' 9" x 10"					
= 461.37 cft					
9' 9" x 1' 6" = 14.63 cft					
Veranda					
3' 10" x 17' 2 1/2" x 7' 6"					
= 79.11 cft					
17' 2 1/2" x 9' = 51.63 cft					
8' 8" x 12' 2 1/2" x 10" = 62.48 cft					
				660.42 cft	

Continuation

Rs 60,336.01

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
cont. item no - (18)				BF	60,336.00
62.12 m <sup>2</sup>					
@ Rs 382.82 / m <sup>2</sup>					
(Limit Rs)				Rs	23808.00
(19) - Provide chiling					
12 mm thick water					
Proof cement-plaster					
(1:3) with 5% crake					
Proof powder as per					
item no - (18)					
Qty - 62.19 m <sup>2</sup>					
@ Rs 51.80 / m <sup>2</sup>				Rs	3221.00
(20) - Providing					
12 mm thick cement					
Plaster (1:6) including					
15 mm cement-furring					
up to 12 (outer side)					
109'10" x 26" = 219.66 sq'					
Skaling -					
93'10" x 0'6" = 46.91 sq'					
266.57 sq'					
240.77 m <sup>2</sup>					
@ Rs 51.83 / m <sup>2</sup>				Rs	1284.00
(21) - Providing					
12 mm thick cement					
Plaster (1:4) inner					
Side of wall				Rs	887.00

Continuation Rs 88649.00

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
comb 2 items (20)				BF	88,649.00
Incl. 83 items					
8 x 9'0" x 10' = 720 sq ft					
2 x 1'6" x 10' = 30 sq ft					1080.00
Verandah					
2 x 9'0" x 10' = 180.00 sq ft					
3'10" x 10' = 38.10 sq ft					
Pillar					
3 x 7 x 10" x 7'6" = 74.28 sq ft					
Ver. limit					
28'10" x 1'10" = 52.76 sq ft					
Beam					
28'10" x 1'6" = 52.78 sq ft					
15'6" x 2'6" = 38.88 sq ft					
2 x 22' x 3'1" = 135.52 sq ft					
Rack					
3 x 9'0" x 3'2 1/2" = 86.62 sq ft					
					1409.14 sq ft
Deduction					
D = 1 x 4 x 7' = 28.00 sq ft					
5 Skirting @ per item					
(20) Railing = 46.92 sq ft					
children's chalk board					
4 x 8'0" x 1'6" = 51.00 sq ft					
					155.92 sq ft
Net quantity					
1409.14 - 155.92					
= 1253.22 sq ft					
= 116.47 m <sup>2</sup> @ 37.83/m <sup>2</sup>					4406.00

Continuation

15,93,055.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	93,055
(22) - Providing					
course sand filling					
in Plinth					
8 x 1/2" x 11' x 9' =				39	6.00
1' 6" x 9' =			13		5.00
Veranda -					8.00
3' 10" + 15' 6 1/2" x 6' 8 1/4"					
2					64.77
15' 6 1/2" x 7' =				4	6.63
7' 10" + 15' 6 1/4" x 4' =					46.74
2					567.64
Qty -					567
567.64 sqft x 1' 10"					

					1038.78
					29.45
(23) Rs 93.80/m <sup>2</sup>				B	2759.00
(23) - Providing					
destination 100 Aft					
brick flat roofing					
as per item 110 (22)					
Qty - 567.64 sqft					
(23) = 52.75 m <sup>2</sup>					11332.00
(24) Rs 73.40/m <sup>2</sup>				B	3871
(24) - Providing					
150 mm deep channel					
iron beams to 112 mm					
floor as per item 110					
(23) Qty - 52.75 m <sup>2</sup>					
(24) Rs 73.55/m <sup>2</sup>				B	3880.00

Continuation

Rs 103,558.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	1,03,538.
(25) - Providing 25 mm thick T.P.S. flooring as per item no. 23.					
Qty - 52.75 m <sup>2</sup>					
@ Rs 82.15 / m <sup>2</sup>				Rs	4333.00.
(26) - S/P/F of 5' grill in windows 3x4'x5' = 60.00 sft.					
@ 1.5 kg / sft = 90.00 kg.					
@ Rs 24.00 / kg				Rs	2160.00.
(27) - S/P/F of 16 gauge C.R. Sheet in door and windows.					
W - 3x4'x5' = 60.00					
D - 1x4'x7' = 28.00					
88.00 sft					
= 8.18 m <sup>2</sup>				@ Rs 984.86 / m <sup>2</sup>	
				Rs	8056.00.
(28) - Providing 16 mm dia. fan handle 1x3' = 3 Mas					
@ Rs 55.85 / Mas				Rs	167.55.
(29) - Providing three coats of white washing (inner side wall) as per item no. 23.					
Qty - 116.42 + 62.10 m <sup>2</sup>					
= 178.66 m <sup>2</sup>				@ Rs 42.5 / m <sup>2</sup>	
				Rs	759.00.

Continuation

Rs 1,18,974



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area	
	No.	L	B		D
				BP	1,18,974.02
(30) - Painting two coats of colour washing over a coat of white wash.					
		8 x 9'9"	10'		780.00 sqft.
		3 x 10'0"			30.00 "
					810.00 sqft.
Deducting window					
		3 x 4' x 5'			60.00 sqft.
Net Qty -					
		810.00			60.00 sqft.
		= 750			sqft = 69.70 m <sup>2</sup>
		@ Rs 7.35/m <sup>2</sup>			Rs 512.00
(31) - Painting red oxide primer on steel work.					
		Grill - 3 x 4' x 5'			60.00 sqft.
		Chiller - 2 x 8'8"			176.00 sqft.
					236.00 sqft.
		= 21.93 m <sup>2</sup>			@ Rs 15.93
		15.93/m <sup>2</sup>			Rs 349.00
(32) - Painting two coats of Gravel painting with ready mix as per item No (31)					
		Qty - 21.93 m <sup>2</sup>			
		@ Rs 25.55/m <sup>2</sup>			Rs 560.00

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
				8F	190,395
(33) - Providing Black/Green board children chalk board 1'6" x 1'6" above 6" ker- ling					
6 x 9'6" x 1'6" =	87.			cu sq ft	
2 x 8' x 4' =	64.			cu sq ft	
	145.			cu sq ft	
= 13.48 m <sup>2</sup> @ Rs. 95/m <sup>2</sup>					
				Rs	1281.00
(34) - wooden boat (L.S. of boat volume)					250.00
(35) Ramp repair					

net details :-

(27) - Pipe - 10mm dia					
4 Nos x 2' x 2' x 4'0" =	1176			cu ft	
4 " x 1' x 17' =	68			"	
	1244			cu ft	
= 379.15 m <sup>3</sup> @ 0.62 kg/m <sup>3</sup>					
	= 235			kg	
5% cutting wastage					
	= 12			kg	
	= 247			kg	
Ring 6mm dia					
21 x 22' x 2' 6" =	1155			cu ft	
1 x 23' x 2' 6" =	162.5			cu ft	
	1317.5			cu ft	
= 371.07 m <sup>3</sup> @ 0.22 kg/m <sup>3</sup>					
	= 82			kg	

Continuation

Rs 121,926.

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(ii) - Girard (Benzol)					
8 mm $\pi$ -					
118' 5 1/2" x 6 nos = 710.5 ft					
= 216.6 m <sup>2</sup>					
5% cutting wastage					
= 10.8 m <sup>2</sup>					
226.8 m <sup>2</sup>					
@ 0.39 kg/m <sup>2</sup>					
= 88 kg					
Ring - 6 mm $\pi$					
178 nos x 2 1/2"					
= 445 ft					
= 135.6 m <sup>2</sup>					
@ 0.22 kg/m <sup>2</sup>					
= 30 kg					
(iii) - 4 mm $\pi$ band					
8 mm $\pi$ -					
89' x 2 nos = 178 ft					
= 54.25 m <sup>2</sup>					
@ 0.39 kg/m <sup>2</sup>					
= 21 kg					
(iv) - limbed on 8 mm $\pi$					
8 mm $\pi$ -					
4 x 4 x 5' = 80 ft					
24.3 m <sup>2</sup> @ 0.395 kg/m <sup>2</sup>					
= 10 kg					

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(V) - veran dakh pillar beam 16 mm dia 29' 8" x 4 nos = 1180				64 ft	
5% cutting wastage					
				= 5.93	
				124.57 ft	
= 37.97 mts					
(2) @ 1.55 kg/mts = 59 kg/mts					
				= 150 kg	
Ring 8 mm dia					
52 x 2' 6"					
				= 130 ft	
= 39.62 mts					
(2) @ 3.95 kg/mts					
				= 116 kg	
(VI) - chhajja					
8 mm dia					
3 x 12 x 2' 4" = 84 ft					
3 x 4 x 5' 0" = 60 ft					
				144 ft	
5% cutting wastage = 7.2 ft					
				151.2 ft	
= 46.08 mts					
(2) @ 3.95 kg/mts					
				= 18 kg	

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(vii) - R					
		8 mm	8		
	3 x 5 x 10'	0"			150.98 ft
	3 x 22 x 2'	4"			153.78 ft
					303.78 ft
5% cutting wastage					
					= 15.18 "
					318.98 ft
	= 97.2	17 mts			
@ 0.395					kg/mts
					= 38 kg
(viii) - R					
		12 mm	8		
	3 x 6 x 13'	6"			24.3 ft
5% cutting wastage					= 12.5 ft
					25.5 + 15 ft
	= 77.766	mts			
@ 0.89					kg/mts
					= 69 kg
Ring - 6 mm					
	3 x 25 x 2'	6"			187.5 ft
	= 52.147	mts			
@ 0.222					kg/mts
					= 11.3 kg

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
(18) - Roof Beam					
20 mm $\phi$					
Wall					
2x4x9	3'9"				190 ft
CRANK					
2x2x	25'6"				102 ft
					292 ft
5% cutting wastage					
					14.6 ft
					306.6 ft
					= 93.447 mts
					@ 2.415 kg/m
					= 230 kg
16 mm $\phi$					
2x2x23	6"				92 ft
5% cutting wastage					
					4.6 ft
					96.6 ft
					= 29.44 mts
					@ 1.58 kg/m
					= 47 kg
Ring - 8 mm $\phi$					
2x47 Nos	4'3"				399.5 ft
					= 121.76 mts
					@ 0.395 kg/m
					= 48 kg

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BF	1,21,996.46
Total steel					
247 + 82 + 88 + 30					
+ 21 + 10 + 60 + 16					
+ 18 + 38 + 69 + 13					
+ 230 + 47 + 48					
= 1017 kg					
@ Rs 23.51 / kg				B	23910.00
				B	145836
For the cost of cement 170 bags					
@ Rs 143 / bags					
				B	24310.00
For the cost of steel 1099 @ Rs 23.51 / kg				B	23910.00
				B	97616.00
For C.P. 9.09%				B	8873.00
				B	88743.00
Add the <del>cost</del> cost of cement 170 bags @ Rs 143 / bags				B	24310.00
Add the cost of steel 1017 kg @ Rs 23.51 / kg				B	23910.00
				B	136963.00

Continuation

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
				BE	136,963.0
Add the carriage					
of material					
① Sand (36 km)					
only 10	51				
	= 99.75				
② @ 149.15 / m <sup>3</sup>				B	7504.00
③ - Stone chips					
(material) only 617					
	= 17.47				
④ @ 143.95 / m <sup>3</sup>				B	6638.00
⑤ - Bricks (8 km)					
only 10 800					
				B	2903
				B	154008.00
1/2 contigency				B	1540.00
				B	155548.00
25% Super 100				B	3889.00
				B	159437.00

Continuation



Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
one lakh fifty three thousand four only)					
Checked					
by					
26/11/07					

Continuation